

Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026 passed in the Assembly, which provides parents with over two children a chance to run against Panchayati Raj.



On 9 March, the Rajasthan Legislative Assembly has passed the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026 by voice vote. It is an amendment that eliminates the previous condition of the past where an individual with more than two children could not be a member of Panchayati Raj institutions. Panchayati Raj Minister Madan Dilawar had declared that the previous provision had been brought in under Section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 following the high rate of population growth at the time. According to him, the rule is no longer relevant in altered conditions. The amendment will widen electoral prospects of other qualified individuals who have been denied a chance to run in local body elections.

The major provisions of the Amendment are as follows.

- The parents who have above two children will now be in a position to contest elections in Panchayati Raj institutions in Rajasthan.
- Rajasthan Legislative Assembly The Rajasthan Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2026 was passed, by vote, by the Rajasthan Legislative Assembly.
- It is the modification of the previous provision based on eligibility-related Section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

- The reform eliminates a disqualification that previously barred some otherwise qualified persons to become members of the Panchayati Raj institutions.

Reasons why the Previous Rule was implemented.

- The above rule was made in terms of the state of that day.
- The primary aim was to curb the high rate of population growth.
- By that system, everyone who lost more than two children could not be a member of Panchayati Raj institutions.

Justifications on the current Amendment.

Changed Social Conditions

- The Minister explained that there has been an increased education among women.
- He also indicated increased social consciousness in the society.
- The government states that the changes have led to the significant decrease in the rate of population growth.

Current Rule Deemed to be irrelevant.

- The government presented the argument that, at the current state, the ancient rule does not apply anymore.
- The amendment has been thus presented as an answer to the shifting demographic and social trends.

Broad Administrative and Political Environment.

Eligible persons have an opportunity to utilize this program.

- The Minister said that there are many competent and qualified persons who could not compete Panchayati Raj elections simply because they had more than two children.
- Through this amendment, such people will now have a chance to be involved in elections.

Reference to State Employees.

- The Minister has also mentioned that the previous government had already abolished the earlier clause which denied employees of the government the right to be promoted once they were having more than two children.
- He added that this is also an indication of the waning applicability of such rules in the present day.

Position in Other States

- The Minister claimed that such states like Andhra Pradesh, Telangana and Haryana had already eliminated such like provisions concerning contention of Panchayati Raj elections.

Significance for Rajasthan

- The amendment increases the participation of democracy at the Panchayati Raj level.
- It eliminates an old eligibility requirement to local self-government elections.
- The ruling is indicative of the position of the government that legal provisions need to be revised with reference to the evolving social realities.
- It can expand the number of applicants in Panchayati Raj institutions throughout the state.

Conclusion

An essential shift in the local electoral eligibility in Rajasthan is the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026. The Assembly has also loosened the rule of disqualification of two children, which has made more eligible people to take part in Panchayati Raj elections. The amendment has been argued using the reasons of altered demographic, increased enlightenment and the necessity of rendering laws to be pertinent to the current moment.

MCQs(RAS Prelims)

1. How does the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026 of the Assembly impact?

- (a) It extends the institution of Panchayati Raj.
- (b) It gives parents having more than two children an opportunity to challenge Panchayati Raj elections.
- (c) It allocates higher number of seats to women in Panchayati Raj bodies.
- (d) It disenfranchises the direct election to Panchayati Raj bodies.

Answer: (b)

Explanation : The amendment is principally to eliminate the previous disqualification which barred individuals possessing above two children to contest the election to Panchayati Raj institutions in Rajasthan.

2. What was the original purpose of the earlier two child disqualification rule which was initially brought into place by the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994?

- (a) in order to have improved representation of rural youth.
- (b) To decrease election spending in the rural regions.
- (c) To manage the rate of population growth then.
- (d) To enhance the process of reservation in Panchayats.

Answer: (c)

Explanation : The Minister explained that the previous provision was made under the circumstances that existed at that time when it was important to control the rapid population growth.

3. What were the following reasons that were presented to support the amendment?

- (a) Panchayat elections have been made an annual exercise.
- (b) In recent years the growth of population has been very sharp.
- (c) Women education and social awareness has led to reduction in population growth.
- (d) all such restrictions must be abolished at once by the Constitution.

Answer: (c)

Explanation: The government used education among women and rising social awareness as an excuse to explain why the amendment was appropriate since the government observed a drastic decrease in population growth that renders the old rule irrelevant in the current scenario.

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पारित, जिसके तहत दो से अधिक संतान वाले माता-पिता को पंचायती राज चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा।

9 मार्च को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह एक ऐसा संशोधन है जो उस पूर्व प्रावधान को समाप्त करता है, जिसके अनुसार दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकता था। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह पुराना प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत उस समय लाया गया था, जब जनसंख्या वृद्धि दर अधिक थी। उनके अनुसार बदली हुई परिस्थितियों में यह नियम अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। यह

संशोधन उन अन्य योग्य व्यक्तियों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की संभावनाओं को विस्तृत करेगा, जिन्हें पहले इस कारण अवसर नहीं मिल पाता था।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं।

दो से अधिक संतान वाले माता-पिता अब राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को मतदान के माध्यम से पारित किया।

- यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 से संबंधित पूर्व पात्रता प्रावधान में संशोधन है।
- यह सुधार उस अयोग्यता को समाप्त करता है, जिसके कारण पहले कुछ अन्यथा योग्य व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य नहीं बन सकते थे।

पूर्व नियम लागू करने के कारण

- यह नियम उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर को नियंत्रित करना था। उस व्यवस्था के अंतर्गत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य नहीं बन सकते थे।

वर्तमान संशोधन के पक्ष में दिए गए तर्क

परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियाँ

- मंत्री ने बताया कि महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा है।
- उन्होंने यह भी संकेत किया कि समाज में सामाजिक जागरूकता बढ़ी है।
- सरकार का कहना है कि इन परिवर्तनों के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

वर्तमान नियम को अप्रासंगिक माना गया

- सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान समय में पुराना नियम अब लागू नहीं होता।
- इस प्रकार संशोधन को बदलती जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रवृत्तियों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

योग्य व्यक्तियों को अब इस अवसर का उपयोग करने का मौका मिलेगा।

- मंत्री ने कहा कि अनेक सक्षम और योग्य व्यक्ति केवल इसलिए पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ पाते थे क्योंकि उनकी दो से अधिक संतान थीं। इस संशोधन के माध्यम से ऐसे लोगों को अब चुनावों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

राज्य कर्मचारियों के संदर्भ में:-

- मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्ववर्ती सरकार पहले ही उस पुराने प्रावधान को समाप्त कर चुकी थी, जिसके तहत दो से अधिक संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित किया जाता था।
- उन्होंने कहा कि यह भी इस प्रकार के नियमों की वर्तमान समय में घटती प्रासंगिकता का संकेत है।

अन्य राज्यों की स्थिति

- मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्यों ने भी पंचायती राज चुनाव लड़ने से संबंधित ऐसे प्रावधान पहले ही समाप्त कर दिए हैं।

राजस्थान के लिए महत्व

- यह संशोधन पंचायती राज स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाता है।
- यह स्थानीय स्वशासन चुनावों के लिए एक पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त करता है।
- यह निर्णय इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के अनुसार कानूनी प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए।
- इससे पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्याशियों की संख्या बढ़ सकती है।

निष्कर्ष

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 राज्य में स्थानीय निर्वाचन पात्रता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। विधानसभा ने दो-संतान अयोग्यता के नियम को शिथिल कर दिया है, जिससे अधिक योग्य लोगों के लिए पंचायती राज चुनावों में भाग लेने का मार्ग खुल गया है। इस संशोधन के समर्थन में बढ़ती हुई जनसांख्यिकीय परिस्थितियाँ, बढ़ती जागरूकता और कानूनों को वर्तमान समय के अनुरूप बनाए रखने की आवश्यकता को आधार बनाया गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न(आरएएस प्रारंभिक परीक्षा)

1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 का क्या प्रभाव है?

- (a) यह पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार करता है।
- (b) यह दो से अधिक संतान वाले माता-पिता को पंचायती राज चुनाव लड़ने का अवसर देता है।
- (c) यह पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए अधिक सीटें आवंटित करता है।
- (d) यह पंचायती राज निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव को समाप्त करता है।

Answer: (b)

तर्क: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उस पूर्व अयोग्यता को समाप्त करना है, जिसके कारण दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से रोका जाता था।

2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पूर्व दो-संतान अयोग्यता नियम को मूल रूप से किस उद्देश्य से लागू किया गया था?

- (a) ग्रामीण युवाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए।
- (b) ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी व्यय कम करने के लिए।
- (c) उस समय की जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए।
- (d) पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए।

Answer: (c)

तर्क: मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पूर्व प्रावधान उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था, जब तीव्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा कारण इस संशोधन के समर्थन में प्रस्तुत किया गया था?

- (a) पंचायत चुनाव अब प्रतिवर्ष कराए जाने लगे हैं।
- (b) हाल के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र हो गई है।
- (c) महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के कारण जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है।
- (d) संविधान के अनुसार ऐसे सभी प्रतिबंधों को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए।

Answer: (c)

व्याख्या: सरकार ने महिलाओं में शिक्षा के प्रसार और समाज में बढ़ती जागरूकता को इस संशोधन के समर्थन का आधार बताया, क्योंकि सरकार के अनुसार जनसंख्या वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे पुराना नियम वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो गया है।

The book “Sansadiya Sanskriti ka Utkarsh: Navacharon ke Do Varsh” by speaker Vasudev Devnani will be published, which will discuss two years of innovations and reforms in the Rajasthan Legislative Assembly.



On Tuesday, a book on the achievements of the major innovations, reforms, and attempts to reinforce the tradition of parliamentary in the Rajasthan Legislative Assembly will be released on the basis of the past two years and the title of the book will be called as Parliamentary Culture ka Utkarsh: Navacharon ke Do Varsh. The Rajasthan Legislative Assembly Secretariat has released the book and is associated with the efforts made on the leadership of the Assembly Speaker Vasudev Devnani. Governor Haribhau Bagde and Chief Minister Bhajan Lal Sharma shall be present in the release ceremony. There will also be an elaborate discussion of the work of Devnani titled Sanatan Sanskriti ki Atal Drishti as well as the consideration of the aspects of the parliamentary culture, the values of democracy and the parliamentary role.

Freud and Engages in the Release Ceremony.

- The book will be officially presented at a ceremony at Jaipur.
- The book will be released by Governor Haribhau Bagde and Chief Minister Bhajan Lal Sharma.

- Also present will be parliamentary affairs minister, Jogaram Patel and leader of opposition, Tikaram Jolly.
- It will be attended by various prominent personalities who are related to the constitutional, political and social life of the state.
- Legislators, scholars of parliament, scholars, and prominent citizens in other spheres are likely to be involved.

What the Book Documents

- The book is published by Secretariat of Legislative Assembly of Rajasthan.
- It explains the key innovations that have been brought in the Rajasthan Legislative Assembly in the past two years.
- It records reforms that will lead to better functioning of the parliament, which is more transparent and people oriented.
- It also documents actions implemented in strengthening the values of parliament and institutional work culture.
- The publication describes the new initiatives that were made in order to make the operations of the Assembly more effective and rich.

Significance of the Publication.

- Empowerment of Democratic Institutions.
- The book offers a significant perspective of the changing working style of Rajasthan Legislative Assembly.
- It highlights the progress on advancing the democratic institutions.
- It also emphasizes the need to maintain the traditions in parliament.

Useful Reference Work

- The book is anticipated to be an effective reference book among those who are conducting research, students, and those who represent the population and will be interested in the working of the parliament.
- It can assist readers in realizing the ways legislative institutions can be fixed by innovation and reform.

Other work of Devnani is discussed.

Atal Drishti of Sanatan Sanskriti.

- In the programme, one of the works by Devnani, Sanatan Sanskriti ki Atal Drishti, will be discussed.
- In addition to the book release, the opinions about the significance of parliamentary culture, relevance of democratic values, and the place of the legislature in the life of people are going to be expressed.

Conclusion

The publication of the book titled **Sansadiya Sanskriti ka Utkarsh: Navacharon ke Do Varsh** is important in that institutional reforms and innovations in the parliament are recorded in the Rajasthan Legislative Assembly. It is more than a formal publication event, since it represents an attempt to maintain the practice of a certain legislature, enhance democratic principles, and have a valuable resource of future research and general knowledge.

MCOs(RAS Prelims)

1. What is the theme in the book, **Sansadiya Sanskriti ka Utkarsh: Navacharon ke Do Varsh**?

- (a) Electoral performance of political parties in Rajasthan
- (b) New ideas, changes, and empowerment of the parliamentary traditions in the Rajasthan Legislative Assembly during the past two years.
- (c) Reformation of judicial institutions in the district courts in Rajasthan.
- (d) Restructuring of municipal bodies in Rajasthan.

Answer: (b)

Explanation : The book is dedicated to the significant innovations, reforms, and fortification of parliamentary traditions undertaken in the Rajasthan Legislature in the last two years. It has been argued as an elaborate institutional text as opposed to political manifesto or an overall administrative report.

2. In which country will the book be released?

- (a) Jaipur, Rajasthan University.
- (b) Vidhan Sabha Bhavan, Jaipur
- (c) Constitution Club of Rajasthan, Jaipur.
- (d) HCM RIPA, Jaipur

Answer: (c)

Explanation: The launch event is to be held at the Constitution Club of Rajasthan in Jaipur. The event is planned as a serious official event in which prominent constitutional and political officials are to be invited to discuss issues associated with parliamentary culture and legislative operation.

3. What are the other themes that are to be discussed in the programme?

- Budget devolution and Panchayati Raj election reforms.
- parliamentary culture and democratic values, Devnani, Sanatan Sanskriti ki Atal Drishti.
- Startup ecosystem and industrial policy of Rajasthan.
- Court appointments and amendments to the constitution.

Answer: (b)

Explanation: The programme will not be restricted by the publication of a single book. It will also contain a discussion of the work by Vasudev Devnani, the work is titled Sanatan Sanskriti ki Atal Drishti. Moreover, the event will include opinions on the parliamentary culture, democratic values, and the general purpose of the legislature.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पुस्तक 'संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष: नवाचारों के दो वर्ष' प्रकाशित होगी, जिसमें राजस्थान विधानसभा में पिछले दो वर्षों के नवाचारों और सुधारों पर चर्चा की गई है।

मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए प्रमुख नवाचारों, सुधारों और संसदीय परंपराओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों पर आधारित पुस्तक 'संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष: नवाचारों के दो वर्ष' का विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है और यह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में किए गए प्रयासों से संबंधित है। पुस्तक के विमोचन समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर देवनानी की कृति 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' पर भी विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही संसदीय संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनजीवन में विधायिका की भूमिका पर भी विचार व्यक्त किए जाएंगे।

विमोचन समारोह और सहभागिता

- पुस्तक का औपचारिक विमोचन जयपुर में आयोजित एक समारोह में किया जाएगा।
- राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पुस्तक का विमोचन करेंगे।
- संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
- राज्य के संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जुड़े अनेक प्रमुख व्यक्तित्व इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
- विधायकगण, संसदीय कार्य के विशेषज्ञ, शिक्षाविद् तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नागरिक भी इसमें सम्मिलित होंगे।

पुस्तक में क्या दर्ज किया गया है

- यह पुस्तक राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है।
- इसमें राजस्थान विधानसभा में पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए प्रमुख नवाचारों का विवरण दिया गया है।
- इसमें ऐसे सुधारों का उल्लेख है, जिनसे संसदीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाया जा सके।
- यह संसदीय मूल्यों और संस्थागत कार्यसंस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का भी दस्तावेज है।
- प्रकाशन में उन नई पहलों का वर्णन किया गया है, जिनसे विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक समृद्ध और प्रभावशाली बनाया गया।

प्रकाशन का महत्व

लोकतांत्रिक संस्थाओं का सशक्तीकरण

- यह पुस्तक राजस्थान विधानसभा की बदलती कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में हुए प्रयासों को रेखांकित करती है।
- यह संसदीय परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल देती है।

उपयोगी संदर्भ ग्रंथ

- यह पुस्तक शोधार्थियों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और संसदीय कार्यप्रणाली में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए एक उपयोगी संदर्भ ग्रंथ सिद्ध हो सकती है।
- यह पाठकों को समझने में सहायता करेगी कि नवाचार और सुधारों के माध्यम से विधायी संस्थाओं को कैसे अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।

देवनाजी की अन्य कृति पर चर्चा

‘सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि’

- कार्यक्रम में देवनाजी की कृति ‘सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि’ पर भी चर्चा की जाएगी।
- पुस्तक विमोचन के साथ-साथ संसदीय संस्कृति के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रासंगिकता और जनजीवन में विधायिका की भूमिका पर भी विचार रखे जाएंगे।

निष्कर्ष

‘संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष: नवाचारों के दो वर्ष’ शीर्षक से प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राजस्थान विधानसभा में हुए संस्थागत सुधारों और संसदीय नवाचारों का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह केवल एक औपचारिक प्रकाशन नहीं है, बल्कि विधायी परंपराओं के संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण और भविष्य के अध्ययन तथा सामान्य समझ के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में भी देखी जा सकती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. पुस्तक 'संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष: नवाचारों के दो वर्ष' का मुख्य विषय क्या है?

- (a) राजस्थान में राजनीतिक दलों का निर्वाचन प्रदर्शन।
- (b) राजस्थान विधानसभा में पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए नवाचार, सुधार और संसदीय परंपराओं का सुदृढीकरण।
- (c) राजस्थान के जिला न्यायालयों में न्यायिक संस्थाओं का सुधार।
- (d) राजस्थान में नगरीय निकायों का पुनर्गठन।

उत्तर: (b)

व्याख्या: यह पुस्तक राजस्थान विधानसभा में पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नवाचारों, सुधारों और संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने के प्रयासों पर केंद्रित है। इसे एक विस्तृत संस्थागत दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि किसी राजनीतिक घोषणापत्र या सामान्य प्रशासनिक प्रतिवेदन के रूप में।

2. पुस्तक का विमोचन कहाँ किया जाएगा?

- (a) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- (b) विधानसभा भवन, जयपुर।
- (c) राजस्थान कांस्टीट्यूशन क्लब, जयपुर।
- (d) हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

उत्तर: (c)

व्याख्या: पुस्तक का विमोचन जयपुर स्थित राजस्थान कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक औपचारिक और गरिमामय आयोजन के रूप में रखा गया है, जिसमें प्रमुख संवैधानिक और राजनीतिक व्यक्तियों के साथ-साथ संसदीय संस्कृति और विधायी कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श भी होगा।

3. कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किन अतिरिक्त विषयों पर चर्चा होगी?

- (a) पंचायती राज निर्वाचन सुधार और बजट विकेंद्रीकरण।
- (b) देवनानी की कृति 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि', संसदीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्य।
- (c) राजस्थान की औद्योगिक नीति और नवप्रारंभिक उद्यम व्यवस्था।
- (d) न्यायिक नियुक्तियाँ और संवैधानिक संशोधन।

उत्तर: (b)

व्याख्या: यह कार्यक्रम केवल एक पुस्तक के विमोचन तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें वासुदेव देवनानी की कृति 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ-साथ संसदीय संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों और समाज में विधायिका की व्यापक भूमिका पर भी विचार रखे जाएंगे।

Plastic Waste Free Campaign-2026, in the Swachh Bharat Mission (Rural) saw an excellent public attendance in Rajasthan with a total of 18 lakh participants, and an approximate of 39,000 kilograms of plastic waste was gathered.



One of the significant population cleanliness and environmental efforts supported by Swachh Bharat Mission (Rural) in Rajasthan was the Plastic Waste Free Campaign-2026. The campaign was conducted between 16 February and 28 February and it was indicative of the fact that the state government was still concerned with sanitation and environmental protection under the leadership of the Chief Minister Bhajanlal Sharma. The campaign was absolutely popular throughout the state and turned plastic waste management into a popular movement of the people. Within the campaign, 18.61 lakh people were involved and approximately 39000 kilograms of plastic waste was gathered. The plastic collected was also recycled and scientifically disposed, which earned close to Rs 2 lakh of money thus displaying environmental and pragmatic worth.

The most important elements of the Campaign were as follows.

- The campaign was to be held between 16 February and 28 February.
- It was done through Swachh Bharat Mission (Rural).

- The number of people who participated in the campaign was more than 18 lakh.
- Approximately 39,000 kilograms of plastic waste were gathered in Rajasthan.
- Recycling and scientific disposal of the collected plastic brought in almost 2 lakh revenue.

Objectives of the Campaign

It is a project that involves reduction of plastic waste in rural areas.

- The primary goal was to ensure that the rural regions are clean and plastic-free.
- The negative impact of single-use plastic was particularly the focus of the campaign.
- It aimed to create a long-term awareness regarding good waste management and environmental sustainability.

The objective is to generate awareness and influence behavioural change through the social media platform.

- The program was to transform cleanliness and protecting the environment as a civic movement.
- It made the citizens embrace waste separation and use less plastic in their lives.
- It also propagated the sense of responsibility towards a cleaner and green Rajasthan.

Community involvement and participation of the public.

Motivation of Schools, Women Groups, and Voluntary Organisations.

- The campaign involved schools, women organisations, voluntary organisations as well as ordinary citizens.
- The role of Gram Panchayats was also significant to increase the scope of the campaign.
- The broad involvement was evidence of the high level of community support of the sanitation and protection of the environment.

Statewide Participation on the Mass Level.

- The campaign was exceptionally supported at the state level.
- Associated with it were lakhs of people who joined it with a lot of enthusiasm which made the initiative seem like a large public movement.
- The campaign enhanced the awareness of people on the necessity of a plastic-free environment.

Activities to be run in Gram panchayats.

Nestle Healthy Choice: Cleanliness Drives and Awareness Programmes.

- Special cleanliness drives were done in Gram Panchayats, schools, public places, water sources, religious places and market areas.
- Activities such as chaupals, cleanliness rallies and shramdaan were organized.
- There were poster competitions and essay competitions at schools.
- There were also discussions with shopkeepers in order to raise awareness.

Waste Segregation and Sustainable practices.

- Awareness of waste segregation among women was achieved through programmes.
- Activities were as well done to promote use of utensil banks.
- These actions favored viable options to the use of plastic and enhanced better waste management activities.

Public Pledge and Enforcement.

- Action was taken and awareness was created to prevent the usage of single-use plastic at numerous locations.
- Steps were also taken that were related to penalties in the course of the campaign.

Public Commitment

- Many individuals pledged to have a plastic waste free environment.
- Waste segregation was also promised by the citizens.
- This contributed to enhancing the vision of a Plastic Free Rajasthan.

Conclusion

The campaign of plastic waste free- 2026 turned out to be a significant case of community action on cleanliness and environment in Rajasthan. Having a mass presence, waste collection, promotional events, and a campaign against single-use plastic, the campaign gave the state a better push towards a cleaner, healthier, and greener future.

MCQs (RAS Prelims)

1. On what mission was the Plastic Waste Free Campaign-2026 of Rajasthan held?

- (a) Jal Jeevan Mission
- (b) National Green Mission

(c) Swachh Bharat Mission (Rural).

(d) Smart Cities Mission

Answer: (c)

Explanation : The Swachh Bharat Mission (Rural) was used to organize the Plastic Waste Free Campaign-2026 of Rajasthan. The campaign was centered on the topics of cleanliness, protection of the environment and minimization of plastic waste sources in rural territories by involving the population and carrying out the awareness-based actions.

2. In the Plastic Waste Free Campaign-2026 in Rajasthan, what was the approximate amount of plastic waste collected?

(a) 19,000 kilograms

(b) 29,000 kilograms

(c) 39,000 kilograms

(d) 49,000 kilograms

Answer: (c)

Explanation : 39,000 kilograms of plastic waste were gathered in the state during the campaign. This was an indication of the massive involvement as well as the administrative work behind the campaign.

3. One of the primary targets of the Plastic Waste Free Campaign-2026 was one of the following:

(a) To increase plastic production of industries in the countryside.

(b) To clean the rural areas and ensure that they do not have any plastic waste.

(c) To abolish Gram Panchayats and in its place, have urban sanitation bodies.

(d) To encourage the use of single-use plastic in its pure form.

Answer: (b)

Explanation: One of the goals of the campaign was to clean and plastic waste free the rural areas. It also strived to raise awareness of the negative impact of single-use plastic and promote waste separation and civic action.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026 को राजस्थान में व्यापक जनसमर्थन मिला, जिसमें 18 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और लगभग 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया।

राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026 जनस्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा। यह अभियान 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आयोजित किया गया और इसने यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लगातार प्राथमिकता दे रही है। इस अभियान को पूरे राज्य में उल्लेखनीय जनसमर्थन मिला और इसने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को जनभागीदारी आधारित आंदोलन का रूप दे दिया। अभियान के दौरान 18.61 लाख लोगों ने भाग लिया तथा लगभग 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। एकत्रित प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण से लगभग 2 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ, जो इसके पर्यावरणीय और व्यावहारिक महत्व को दर्शाता है।

अभियान के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं।

- यह अभियान 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच चलाया गया।
- इसका संचालन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत किया गया।
- इस अभियान में 18 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।
- राजस्थान भर से लगभग 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया।
- एकत्रित प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण से लगभग 2 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

अभियान के उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे में कमी

- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाना था।
- अभियान का विशेष ध्यान एकल-उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर था।
- इसका लक्ष्य उचित कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति दीर्घकालिक जागरूकता विकसित करना था।

जनजागरूकता और व्यवहार परिवर्तन

- इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का रूप देना था।
- इसने नागरिकों को कचरा पृथक्करण अपनाने और दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

- इसने स्वच्छ और हरित राजस्थान के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा दिया।

जनभागीदारी और सामुदायिक सहयोग

विद्यालयों, महिला समूहों और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका

- इस अभियान में विद्यालयों, महिला समूहों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी की।
- ग्राम पंचायतों ने भी अभियान के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- व्यापक भागीदारी से यह स्पष्ट हुआ कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समुदाय का मजबूत समर्थन मौजूद है।

राज्यव्यापी जनसहभागिता

- इस अभियान को पूरे राज्य में असाधारण समर्थन प्राप्त हुआ।
- लाखों लोग उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए, जिससे यह एक बड़े जनआंदोलन के रूप में उभरा।
- इस अभियान ने प्लास्टिक मुक्त वातावरण की आवश्यकता के प्रति जनजागरूकता को और मजबूत किया।

ग्राम पंचायतों में आयोजित गतिविधियाँ

स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम

- ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, जल स्रोतों, धार्मिक स्थलों और बाजार क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए।
- चौपाल, स्वच्छता रैलियाँ और श्रमदान जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
- विद्यालयों में पोस्टर प्रतियोगिताएँ और निबंध प्रतियोगिताएँ आयोजित हुईं।
- जागरूकता बढ़ाने के लिए दुकानदारों के साथ संवाद भी किए गए।

कचरा पृथक्करण और सतत व्यवहार

- महिलाओं को कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- बर्तन बैंक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी गतिविधियाँ चलाई गईं।
- इन उपायों ने प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा दिया और बेहतर कचरा प्रबंधन को मजबूती प्रदान की।

जनप्रतिबद्धता और प्रवर्तन

एकल-उपयोग प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई

- अनेक स्थानों पर एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता के साथ कार्रवाई भी की गई।
- अभियान के दौरान दंडात्मक कदम भी उठाए गए।

जनप्रतिबद्धता

- बड़ी संख्या में लोगों ने प्लास्टिक कचरा मुक्त वातावरण बनाए रखने की शपथ ली।
- नागरिकों ने कचरा पृथक्करण अपनाने का भी संकल्प लिया।
- इससे प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को मजबूती मिली।

निष्कर्ष

प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026 राजस्थान में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया। व्यापक जनसहभागिता, कचरा संग्रहण, जागरूकता कार्यक्रमों और एकल-उपयोग प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई के माध्यम से इस अभियान ने राज्य को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान का प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026 किस मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया था?

- (a) जल जीवन मिशन
- (b) राष्ट्रीय हरित मिशन
- (c) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- (d) स्मार्ट सिटीज मिशन

Answer: (c)

व्याख्या: राजस्थान का प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत आयोजित किया गया था। यह अभियान स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को कम करने पर केंद्रित था। इसमें जनभागीदारी और जागरूकता आधारित गतिविधियों को विशेष महत्व दिया गया।

2. राजस्थान के प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026 के दौरान लगभग कितना प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया?

- (a) 19,000 किलोग्राम
- (b) 29,000 किलोग्राम

- (c) 39,000 किलोग्राम
(d) 49,000 किलोग्राम

Answer: (c)

व्याख्या: इस अभियान के दौरान राज्यभर से लगभग 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। यह आँकड़ा अभियान के बड़े पैमाने, व्यापक जनभागीदारी और प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि अभियान केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि उसका व्यावहारिक प्रभाव भी दिखाई दिया।

3. प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026 का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था?

- (a) ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना
(b) ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाना
(c) ग्राम पंचायतों को समाप्त कर शहरी स्वच्छता निकाय बनाना
(d) एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना

Answer: (b)

व्याख्या: इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाना था। इसके साथ-साथ अभियान ने एकल-उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने, कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देने और नागरिकों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास किया।

RASonly